

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग जनपद बागपत।

35

पंक.....

रसीद क्रमांक.....1742

उ०प्र० शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-2 के परिपत्र संख्या-5609-छ:पु०-2-94-200(3)/94
क 05.01.1995 के अन्तर्गत मोटर यान अधिनियम-1988 (अधिनियम सं०-59 सन् 1980) की धारा 2
परण खण्ड अधिनियम-1897(अधिनियम सं०-10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उपर्युक्त स
38 की धारा-20 की उपधारा-3 के अधीन प्रदत्त अधिकार।

लान का दिनांक..... उल्लंघन का स्थान.....
न संख्या..... वाहन किस्म.....

चालक द्वारा मोटर अधिनियम 1988 के वर्णित प्राविधानों/धाराओं का उल्लंघन किये जाने का विवरण -

क अपराध का विवरण धारा

(अभियोग चलाने अथवा साक्ष्य देने का बन्ध-पत्र)

लक..... पुत्र श्री.....

स्थान..... थाना..... जनपद.....

हैं। इस लेख द्वारा वचन देता/देती हूँ कि आगामी दिनांक..... को समय प्रातः
के समक्ष उपस्थित होकर वहाँ अपने ऊपर लगाये गये मोटर वाहन
अन्तर्गत विचाराधीन अभियोग के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिये उपस्थित रहूँगा/रहूँगी और उपस्थित
अपने को इस बात को बाध्य करता/करती हूँ कि राज्य सरकार के पक्ष में 5,000/- रुपये अदा

कागजात का विवरण

उक्त बन्ध-पत्र/विवरण की एक प्रति प्राप्त की

हस्ताक्षर मालिक/चालक.....

चालानकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर.....

नाम व पद नाम.....

थाना/नियुक्ति स्थान.....

जनपद.....